



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61911

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5672 वर्ष 2026

भोला तिवारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

.....

.....

आवेदक के अधिवक्ता:

प्रमोद कुमार मिश्रा, सुनील कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

.....

.....

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री सुनील कुमार, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथा श्री बी.पी. मौर्या, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अधीन वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ योजित किया गया है कि विचारण के लंबित रहने की अवधि में उसे मुकदमा अपराध संख्या- 390 वर्ष 2025, नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की धारा 8/20/60 के अधीन, थाना जिगना, जनपद मीरजापुर में पंजीकृत मामले में जमानत पर रिहा किया जाए।

3. विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुराशय से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त प्रतीक सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-5452 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2026 द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि आवेदक एक ऑटो-रिक्शा चालक है और सह-अभियुक्त कथित मादक पदार्थ के साथ उसके ऑटो-रिक्शा में यात्रा कर रहे थे। आवेदक 31.12.2025 से जेल में बंद है और वचन देता है कि यदि जमानत दी गई तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार चार सह-अभियुक्त व्यक्तियों के पास से 50.780 किलोग्राम गांजा बरामद बताया गया है और सह-अभियुक्त प्रतीक सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-5452 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2026 द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक 31.12.2025 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति एवं अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान को भी दृष्टिगत रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त मामला पाता हूं। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक-**भोला तिवारी** की उपरोक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रुपये 50,000/- का निजी मुचलका एवं उसी राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप-विरचन एवं (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन बयान अभिलिखित करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक एक वचनपत्र योजित करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त करने के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च 2026

आर.के.एम.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”